

काला धन रखने वाले 18 लाख लोगों पर सरकार की नजर

जागरण ब्लूरा, नई दिल्ली : भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम तेज करते हुए सरकार अब उन 18 लाख लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है जिन पर काला धन होने का शक है। इसी तरह नोटबंदी के दौरान अलग-अलग खातों में जमा हुई पौने दो लाख करोड़ रुपये की विशाल धनराशि भी शक के घेरे में है। काले धन के खिलाफ सरकार की कड़ी कार्रवाई का असर है कि इस साल अप्रैल से अगस्त के दौरान आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले नए करदाताओं की संख्या बढ़कर दोगुनी हो गयी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंगलवार को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए यह बात कही। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत एक बड़ा अहम काम है। उसको हम बल देने का प्रयास कर रहे हैं।

काले धन के मोर्चे पर अब तक

उठाए कदमों की जानकारी देते हुए पीएम ने कहा कि सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम एसआइटी बनाने का किया। तीन साल के भीतर करीब सवा लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा काला धन खोज लिया है और उसे समर्पण करने को मजबूर किया है।

नोटबंदी के फैसले को सफल करार देते हुए पीएम ने कहा कि जो काला धन छिपा हुआ था, वह इस कदम से मुख्यधारा में आ गया है। नोटबंदी से करीब तीन लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त जो कभी बैंकों में नहीं आता था, वो आया है। 18 लाख से ज्यादा ऐसे लोगों की पहचान भी की है, जिनकी आय उनके हिसाब-किताब से ज्यादा है। साढ़े चार लाख लोग इसमें से अब मैदान में आए हैं, अपनी गलती स्वीकार करके रास्ते में आने का प्रयास कर रहे हैं। एक लाख लोग ऐसे सामने आए हैं, जिन्होंने कभी आयकर नहीं दिया।

नए व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या 56 लाख

प्रधानमंत्री ने कहा कि काला धन रखने वाले लोग अब सिस्टम को जवाब देने को मजबूर हुए हैं। इस वर्ष एक अप्रैल से 05 अगस्त तक आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले नए व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या 56 लाख रही है, जबकि पिछले उसी अवधि में ये संख्या सिर्फ 22 लाख थी। तीन लाख शेल कंपनियों में से पौने दो लाख का रजिस्ट्रेशन रद कर दिया गया है। पीएम ने कहा कि देश का माल लूटने वालों को जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नोटबंदी से बैंकों के पास धन आया है। इससे बैंक अपनी ब्याज दर कम कर रहे हैं।

जीएसटी से ट्रक की आवाजाही में 30 प्रतिशत समय की बचत

प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी के बाद पारदर्शिता और बढ़ने वाली है। अकेले परिवहन क्षेत्र को जीएसटी का इतना फायदा हुआ है कि ट्रक की आवाजाही में तीस प्रतिशत समय की बचत हो रही है। चेक पोस्ट खत्म होने के कारण हजारों करोड़ रुपयों की बचत हुई है।